कार्यालय आयुक्त पुलिस, दिल्ली, पुलिस मुख्यालय नई दिल्ली.
संख्या /जनसम्पर्क शाखा, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक /2009.

सेवा में,

सम्पादक
अमर उजाला

विषय :– ‘‘ चलती बस में छेड़छाड़ , चाकू मारा ।’’

महोदय,

आपके समाचार पत्र में 22 जनू–2009 को उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत प्रमुखता के साथ छपी यह खबर पूर्णतया तथ्यहीन व बेबुनियाद है।

खबर में एक युवती के साथ छेड़छाड़ व बार–बार किसी नुकीली चीज़ से घायल करने का ब्यौरा प्रकाशित किया गया है। उसके वास्तविकता तथ्यों के बारे में आपके संवाददाता ने कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे मामूम होता है कि किसी ने जानबूझ कर केवल प्रकाशित कराने के उद्वेश्य से यह खबर आपके संवाददाता को दी है। जिसे आपके संवाददाता ने खबर में उल्लेखित पीड़ित युवती या स्थानीय पुलिस से बिना सत्यता की पुष्टि किये प्रकाशित कर दिया।

वास्तविकता यह है कि भीड़ से भरी बस में एक युवती को शराब पीये हुए एक व्यक्ति ने धक्का दे दिया था जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के तत्काल बाद ही वह व्यक्ति वेलकम के निकट बस से कूद कर भाग गया। इस प्रकिया में उस युवती की बांयी कनपटी पर मामूली चोट आई, न कि उसके गाल पर बार–बार चाकू से हमला किया गया , और न ही उस युवती का कोई सामान आदि लूटा गया। युवती का बैग व मोबाइल फोन उसके पास सुरक्षित है और उसी के मोबाइल फोन पर हमारे पुलिस ऑफिसर उसके सम्पर्क में है। युवती का चेहरा किसी प्रकार से विकृत नहीं हुआ है। पूरे घटनाकम में केवल एक ही अभियुक्त शामिल था और उसने चालक को कोई धमकी नही दी। बल्कि वह तत्काल ही बस से कूद कर वेलकम इलाके में एक गली की तरफ भाग गया था। शिकायतकर्ता युवती बस में अकेली न होकर उसके साथ भी एक व्यक्ति था। वह युवती बस में न तो चिल्लाई और न ही उसने किसी अन्य सहयात्री से मदद के लिए गुहार लगाई। यह अभियुक्त के साथ केवल एक साधारण सा झगड़ा था।

हालांकि इस मामले में पुलिस ने लडकी के साथ छेड़छाड़ करने व किसी नुकीले हथियार से चोट पहुंचाने का मामला सीलमपुर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 233 दिनांक 22.6.2009 के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 354/324 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वास्तविक तथ्यों को समुचित स्थान पर प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें, ताकि पाठकगण सही जानकारी से अवगत हों।

धन्यवाद

(राजन भगत)
जनसम्पर्क अधिकारी,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली।